राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी — सुनिल कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 273/2012 जीसीएमएस नम्बर :— 2012/00144

1. दरिया सिंह
2. ओमप्रकाश
3. विजय पुत्रान चन्दगीराम जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. दलबीर पुत्र बनवारी लाल
2. बनवारी लाल पुत्र मोहर सिंह जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा— खाता विभाजन

—: निर्णय :—

दिनांकः — 23—12—2022

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा. 2 ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 के स्थाई निवासी है जिसकी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 अनुसार खाता सं. 153 के ख.नं. 34 रकबा 0.24 है., ख.नं. 101 रकबा 0.04 है., ख.नं. 813 रकबा 0.84 है., ख.नं. 815/2 रकबा 0.12 है., ख.नं. 824 रकबा 0.26 है. ख.नं. 120/2 रकबा 0.26 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.76 है. भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं. 1 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद वर्णित उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादीगण को संयुक्त खातेदारी रहने से भूमि सुधार आदि में भारी परेशानी हो रही है जिससे अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावे। वादीगण ने बाहमी बंटवारा अनुसार उक्त [illegible] ख.नं. 813 रकबा 0.84 है. भूमि में अपने हिस्से पर कब्जे काश्त है तथा [illegible] अनुसार ख.नं. 813 में हिस्सा 1/3 अनुसार रकबा का खाता विभाजन कर कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम किया जावे। इसलिए यह खाता विभाजन का दावा करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 34 रकबा 0.24 है., ख.नं. 101 रकबा 0.04 है., ख.नं. 813 रकबा 0.84 है., ख.नं. 815/2 रकबा 0.12 है., ख.नं. 824 रकबा 0.26 है., ख.नं. 120/2 रकबा 0.26 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.76 है. भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 भाग ख.नं. 813 रकबा 0.84 है. में खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड बनाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना के रहने वाले हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से भूमि का विभाजन होकर भूमि गत खसरा नंबर 612 हाल खसरा नंबर 887 रकबा 1.36 है. भूमि जो चन्द्रा, मोहरू, चन्दगी, सहीराम, देवा के हिस्से की भूमि अकेले वादीगण के नाम करवादी गई है जो अब वादीगण की खातेदारी में है तथा वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 2 के चाचा देवाराम के बराबर—बराबर हिस्से में आई है। इसलिये वादीगण का वाद वर्णित भूमि में केवल मात्र ना ही है वास्तव में वादीगण तय शुदा खाता विभाजन के आधार पर गत खसरा नंबर 612 हाल खसरा नंबर 887 रकबा 1.36 है. अकेले ले चुके हैं। वाद वर्णित भूमि में वादीगण का केवल 1/3 हिस्से में नाम है। वास्तव में इस भूमि को वादीगण काश्त नहीं करते है। वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी समझौते से पूर्व में ही भूमि का विभाजन कर चुके हैं। वादीगण ग्राम सांवलोद स्थित भूमि गत खसरा नंबर 612 हाल खसरा नंबर 887 रकबा 1.36 है. भूमि ले चुके हैं तथा वाद वर्णित भूमि 1.76 है. में से 0.88 है. भूमि प्रतिवादी सं. 2 काश्त करता है तथा वही काबिज है तथा वह 0.88 है. भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है तथा देवाराम पुत्र गोपाल ने अपनी हिस्से की 0.88 है. भूमि पर काबिज है। वादीगण गांव सांवलोद स्थित भूमि गत खसरा नंबर 612 हाल ख.नं. 887 रकबा 1.36 है. में नाम आ चुका है, मगर वाद वर्णित भूमि में कब्जा काश्त नहीं है। वाद वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 2 काबिज काश्त है एवं शेष 1/2 पर देवाराम काबिज है। देवाराम ने पूर्व में दर्ज खातेदारी में अपना 1/3 हिस्सा का बेचान प्रतिवादी सं. 1 को कर दिया है तथा गत ख.नं. 612 हाल खसरा नंबर 887 रकबा 1.36 है. तथा वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व देवाराम की पैतृक भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

काउन्टर क्लेम

ग्राम सांवलोद स्थित भूमि [illegible] 612 हाल खाता संख्या 37 जमाबन्दी संवत् 2066—69 खसरा नंबर [illegible] रकबा 1.36 है. तथा ग्राम सांवलोद स्थित भूमि हाल खाता संख्या 15[illegible] जमाबन्दी संवत् [illegible]—69 हाल खसरा नंबर 34 रकबा 0.24 है., ख.नं. 101 रकबा 0.04 है., [illegible] 0.26 है. ख.नं. 813 रकबा 0.84 है., ख.नं. 815/2 रकबा 0.12 है0, ख.नं. 824 रकबा 0.26 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.76 है. का आपसी सहमति से वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी बंटवारे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तय कर भूमि गत खसरा नंबर 612 हाल खसरा नंबर 887 रकबा 1.36 है. वादीगण को अकेले को दे दी तथा खाता सं. 153 किता 6 कुल रकबा 1.76 है. में से प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में 0.88 है. भूमि आई जिस पर प्रतिवादी सं. 2 काबिज काश्त है तथा वह अपने हिस्से की भूमि 0.88 है. की खातेदारी की घोषणा करवाकर अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है। इसी खाते में शेष बची 0.88 है. भूमि देवाराम के हिस्से में आई जिसमें से उसने 1/6 हिस्से की भूमि वादी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करदी शेष भूमि पर देवाराम ही काबिज काश्त है जिसकी खातेदारी की घोषणा वह करवा सकता है।

अतः प्रतिदावा पेश निवेदन है कि —

(क) ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 34 रकबा 0.24 है., ख.नं. 101 रकबा 0.04 है., ख.नं. 120/2 रकबा 0.26 है., ख.नं. 813 रकबा 0.84 है., ख.नं. 815/2 रकबा 0.12 है., ख.नं. 824 रकबा 0.26 है. किता 6 कुल रकबा 1.76 है. में प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में आई अर्द्ध भाग की भूमि 0.88 है. का उसे खातेदार, काश्तकार घोषित कर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

(ख) वाद वर्णित भूमि से वादीगण का नाम निरस्त/हजफ किया जावे।

(ग) प्रतिदावे में वर्णित खातेदारी की घोषणा के पश्चात प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से कब्जे की भूमि का खाता विभाजित कर लगान अलहदा कायम कर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे। प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में विरूद्ध वादीगण डिक्री कर खर्चा प्रतिदावा व अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी सं. 2 को दिलाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत वादोत्तर व प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण ने एक दावा घोषणात्मक एवं खाता विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय खेतड़ी किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी महोदय खेतड़ी ने दिनांक 12.07.2004 को खारिज कर दिया था जिसकी अपील वादीगण ने दिनांक 24.8.2004 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनूं ने दिनांक 13.01.2005 को वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जिसका निर्णय मय डिक्री संलग्न जवाब दावा है जो दावा का एक भाग है जिसमें ख.नं. 887 रकबा 1.36 है. का वादीगण को खातेदार घोषित कर शेष ख.नं. 202, 38, 151 के वादीगण व उनके पिता का नाम हजफ किया जाता है। इस प्रकार वादीगण अपना हिस्सा ख.नं. 202, 38 व 151 के बदले में ख. नं. 887 रकबा 1.36 है. जो दादालाई है उसको घोषित करवाया है। दावा में दर्ज में दर्ज भूमि खाता सं. 153 के कुल खसरा 6 रकबा में वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण का हिस्सा ख.नं. 813 रकबा 0.84 है. पर काबिज है तथा कब्जा अनुसार खाता विभाजन के लिये वादीगण ने दावा पेश किया है। अतः प्रतिदावा का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिदावा मय अनुतोष क, ख व ग खारिज फरमाया जाकर वाद वादी के पक्ष में डिक्री किया जावे।

प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल नक्शा किश्तवार (प्रदर्श–1) ग्राम सावलोद, नकल जमाबन्दी संवत् 2066–2069 खाता सं. 153 (प्रदर्श–2), नकल निर्णय दिनांक 13.01.2005 अपील सं. 187/04 उनवानी दरियासिंह आदि बनाम उदमीराम आदि मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं,, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 खाता सं. 20 (प्रदर्श–5), खाता सं. 240 (प्रदर्श–6), खाता सं. 55 (प्रदर्श–7), खाता सं. 221 (प्रदर्श–8) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में बयान दरिया सिंह (पी.डब्ल्यू. –1), विजय सिंह (पी.डब्ल्यू.–2), ओमप्रकाश (पी.डब्ल्यू.–3) भी कलमबद्ध करवाये।

प्रतिवादी सं. 2 की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–1 व 2), नकल जमाबंदी संवत् 2020–23 (प्रदर्श–3), संवत् 2024–27 (प्रदर्श–4), संवत् 2028 (प्रदर्श–5), संवत् 2032–35 (प्रदर्श–6), संवत् 2046–49 (प्रदर्श–7), संवत् 2050–53 (प्रदर्श–8), संवत् 2024–57 (प्रदर्श–9), संवत् 2066–69 (प्रदर्श–10),, संवत् 2020–23 (प्रदर्श–11), संवत् 2032–34 (प्रदर्श–12), संवत् 2029–31 (प्रदर्श–13), नकल खसरा गिरदावरी (प्रदर्श–14 से 17), खसरा गिरदावरी संवत् 2012–15 (प्रदर्श–18), संवत् 2029–32 (प्रदर्श–19), संवत् 2025–28 (प्रदर्श–20) पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में बयान बनवारी लाल (डी.डब्ल्यू.–1) कलमबद्ध करवाये गये।

वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर व उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित विवाद बिन्दु निर्धारित किये गये–

1. आया वादीगण वाद वर्णित सांवलोद की भूमि ख.नं. 34, 101, 813, 815/2, 824, 120/2 किता 6 कुल रकबा 1.76 है. का सहखातेदार होने से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं?

—— प्रमाण भार वादीगण

2. आया वादीगण में आपसी पारिवारिक समझौते में इस भूमि के बदले सांवलोद की भूमि गत खसरा नंबर 612 हाल खसरा नंबर 887 रकबा 1.36 है. दिया जा चुका है। वाद वर्णित भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं होने से वादीगण के नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन किया जावे।

—— प्रमाण भार प्रतिवादी सं. 2

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

3. अनुतोष?

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय निम्नुसार है–

<u>तनकी सं. 1</u> –

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बयानों का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2066–2069 (प्रदर्श–2) खाता सं. 153 में दर्ज खसरा नंबर 34, 101, 813, 815/2, 824, 120/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.76 है. में वादीगण दरियासिंह ओमप्रकाश विजय पि0 चन्दगीराम हि.ब. 1/3 दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण ने राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन का अनुतोष ही चाहा है जो पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से साबित है।

अतः तनकी सं. 1 को साबित करने में वादीगण पूर्णतः सफल रहे हैं लिहाजा तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 –

तनकी सं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 2 पर था। चूंकि तनकी सं. 1 के विवेचन से स्पष्ट साबित है कि वादीगण विवादित भूमि ग्राम सांवलोद खाता सं. 153 में दर्ज खसरा नंबर 34, 101, 813, 815/2, 824, 120/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.76 है. में अपने दर्ज 1/3 हिस्से का खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 2 का तर्क है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी बंटवारे में तय कर भूमि गत खसरा नंबर 612 हाल खसरा नंबर 887 रकबा 1.36 है. वादीगण को अकेले को दे दी तथा खाता सं. 153 किता 6 कुल रकबा 1.76 है. में से प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में 0.88 है. भूमि आई जिस पर प्रतिवादी सं. 2 काबिज काश्त है। लेकिन प्रतिवादी सं. 2 ने गत् खसरा नंबर 612 से हाल निर्मित हुए खसरा नंबर 887 का पत्रावली पर कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है। साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के अपील संख्या 187/2004 बउनवानी दरियासिंह बनाम उदमीराम आदि निर्णय व डिक्री दिनांक 13—01—2005 प्रदर्श—3 में उल्लेखित खाता संख्या 202, 38, 151 के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके की वर्तमान वाद में वर्णित भूमि और प्रदर्श— 3 में उल्लेखित भूमि समान है। इस प्रकार गत् खसरा नंबर 612 व हाल खसरा नंबर 887 के राजस्व रिकार्ड के अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि खातेदारान पक्षकारान का कितना हिस्सा निहित है। वैसे भी राजस्व न्यायालय को राजस्व रिकार्ड दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही राजस्व वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए रिकार्ड के अभाव में तनकी संख्या 2 साबित करने में प्रतिवादी असफल रहा है, अतः अस्तु तनकी सं. 2 प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 – अनुतोष?

पक्षकारान को अन्य कोई अनुतोष दिया जाना उचित नहीं। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 02.09.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुरेजात रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक ... (इस कार्यालय में दिनांक 20—10—2022) को प्राप्त हुयें।

बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

अतः वाके ग्राम **सावलोद** तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता संख्या 153 खसरा नंबर 34, 101, 813, 815/2, 824, 120/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.76 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ— 1 लगायत अ—2 " व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श " अ— 1 लगायत अ—2 " व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ— 1 लगायत अ—2 " व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक **23-12-2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर– 273/2012 जीसीएमएस नम्बर :– 2012/00144

उनवान

दरिया सिंह आदि

ब–ना–म

दलबीर आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से **श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 2 की ओर से **श्री सुरेश कटारिया एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23–12–2022 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

" अतः वाके ग्राम सावलोद तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता संख्या 153 खसरा नंबर 34, 101, 813, 815/2, 824, 120/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.76 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ– 1 लगायत अ–2 " व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श " अ– 1 लगायत अ–2 " व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ– 1 लगायत अ–2 " व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23–12–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested